

झारखण्ड सरकार
ग्रामीण विकास विभाग
(पंचायती राज)

प्रेषक,

प्रवीण कुमार टोप्पो,
भा0प्र0से0,
सरकार के सचिव ।

सेवा में,

सभी उप विकास आयुक्त-सह-
मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद, झारखण्ड
सभी जिला पंचायत राज पदाधिकारी, झारखण्ड ।

राँची, दिनांक- 19.9.18

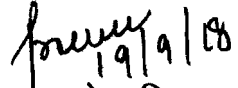
विषय:- ग्राम पंचायत विकास योजनान्तर्गत "सबकी योजना सबका विकास" अभियान तहत गैर
आजीविका मिशन ग्राम पंचायत में Facilitator के प्रशिक्षण के संबंध में ।
प्रसंग:- पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार का पत्रांक 3/AS(BP)/Mopr-2018 दिनांक 30.08.
2018

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संबंध में कहना है कि ग्राम पंचायत विकास योजना के तहत प्रत्येक ग्राम पंचायत दो Facilitator नामित किया जाना है । राज्य में 3185 ग्राम पंचायतों में राज्य आजीविका मिशन अन्तर्गत स्वयं सहायता समूह कार्यरत हैं । इन पंचायत में Facilitator स्वयं सहायता समूह की सदस्य हैं । ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देशानुसार जिन ग्राम पंचायतों में आजीविका मिशन काम नहीं कर रही है, उन पंचायतों में रोजगार सेवक Facilitator का कार्य करेंगे ।

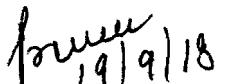
आजीविका मिशन द्वारा Facilitator का पाँच दिवसीय प्रशिक्षण जिलों में दिनांक 18 से 22 सितम्बर तक कराया जा रहा है । आपके जिले में वैसे ग्राम पंचायत जो गैर आजीविका मिशन के हैं, उन ग्राम पंचायतों के रोजगार सेवकों को Facilitator के रूप में नामित करते हुए उनका प्रशिक्षण अपने स्तर से जिला में कराना सुनिश्चित किया जाय । उक्त प्रशिक्षण में आजीविका मिशन के District Resource Person का उपयोग किया जा सकता है अथवा उन्हीं के प्रशिक्षण कार्यक्रम में संबंधित रोजगार सेवकों का भी प्रशिक्षण कराया जा सकता है । इसमें होने वाले व्यय का वहन मनरेगा एवं विभाग अन्तर्गत RGSA मद में उपलब्ध राशि से किया जाएगा ।

विश्वासभाजन


सरकार के सचिव ।

ज्ञापांक :- 01स्था (वि0) 207/2018 3761 /, राँची दिनांक :- 19.9.18

प्रतिलिपि:-मनरेगा आयुक्त, मनरेगा कोषांग, ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची/
मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, JSLPS, ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची/श्रीमती पूर्णिमा
मुखर्जी, JSLPS, ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु
प्रेषित ।


सरकार के सचिव ।